प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 3 अप्रैल, 2021

काशीपुर, रूद्रपुर इत्यादि नगर निगम द्वारा नए परिसीमन में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के साथ किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार को खत्म किए जाने के सम्बन्ध में

श्री अशोक बन्सल, अध्यक्ष, कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन द्वारा राज्य में अवस्थित नगर निगमों के नए परिसीमन के बाद उनमें सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में स्थापित सभी आवासीय भवनों व औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को आगामी 10 वर्षों तक भवन एवं सम्पत्ति कर से मुक्त रखा गया था।

इसके विपरीत शासन द्वारा अपने ही निर्णय को पलटते हुए दिनाँक 22 अगस्त, 2019 को एक परिपत्र जारी कर उसमें ''उत्तराखण्ड के नगर निकायों में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में से आवासीय भवनों से 10 वर्ष तक भवन कर नहीं वसूला जाएगा'' वर्णित किया गया है।

इस आदेश से वाणिज्य एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छूट से वंचित कर दिया गया है जो कि शासन द्वारा उनके साथ किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करता है। यह पूर्ण रूप से वाणिज्य एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ भेदभाव एवं अनीतिपूर्ण व्यवहार है।

इसी क्रम में नगर निगम, काशीपुर, रूद्रपुर इत्यादि द्वारा नए परिसीमन में शामिल क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सम्पत्ति कर जमा कराए जाने हेतु नोटिस भेजे जा रहे हैं।

केजीसीसीआई अध्यक्ष, श्री अशोक बन्सल द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वव्यापी महामारी कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के कारण वर्तमान में उद्योग अत्यधिक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में नगर निकायों द्वारा उद्योगों से भवन अथवा सम्पत्ति कर की माँग करना न्यायोचित नहीं है।

श्री अशोक बन्सल द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड, श्री तीरथ सिंह रावत, माननीय शहरी विकास मन्त्री, उत्तराखण्ड, श्री बंशीधर भगत, माननीय विधायक, काशीपुर व माननीय विधायक, रूद्रपुर को पत्र भेजकर माँग की गयी है कि नए परिसीमन के अन्तर्गत नगर निकायों में सम्मिलित क्षेत्रों में स्थापित आवासीय भवनों तथा औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के साथ भेदभाव नहीं अपितु सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए।

सभी को समानतापूर्वक न्याय दिए जाने हेतु शासन द्वारा दिनाँक 22 अगस्त, 2019 को जारी परिपत्र को निरस्त कर उससे पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाना चाहिए अर्थात् नए परिसीमन के तहत राज्य के नगर निकायों में शामिल क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी आवासीय भवनों के समान ही आगामी 10 वर्षों तक भवन एवं सम्पत्ति कर से मुक्त रखा जाना चाहिए।

(अशोक बन्सल)
अध्यक्ष